प्रेस विज्ञप्ति
12.06.2026

अपराध से अर्जित आय (पीओसी) को उसके सही दावेदारों को लौटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अन्वेषणाधीन मेसर्स अजमेरा समूह एवं अन्य के मामले में धन शोधन के अपराध के पीड़ितों तथा सही दावेदारों को ₹8.41 करोड़ मूल्य की संपत्तियों की वापसी (प्रत्याहरण) का आदेश पारित किया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने मेसर्स अजमेरा समूह, बेंगलुरु के प्रबंध निदेशक, निदेशकों एवं सहयोगियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज अनेक एफआईआर के आधार पर जांच प्रारंभ की। इन एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि उक्त संस्था ने आम जनता को निवेश पर उच्च प्रतिफल का प्रलोभन देकर उनसे निवेश प्राप्त किया। तथापि, संस्था ने निवेशकों को न तो प्रतिफल का भुगतान किया और न ही उनके द्वारा जमा/निवेश की गई मूल राशि लौटाई, जिससे जनता के साथ धोखाधड़ी की गई।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच में यह उजागर हुआ कि मेसर्स अजमेरा समूह के निदेशकों तथा अन्य संबद्ध व्यक्तियों के बैंक खातों में बड़ी मात्रा में धनराशि का अपवर्तन किया गया था तथा उक्त धनराशि का उपयोग उनके नाम पर विभिन्न संपत्तियों के अधिग्रहण में किया गया।

जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने विभिन्न आरोपियों की चल एवं अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करते हुए एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया तथा तत्पश्चात् माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर किया।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत अपराध से अर्जित आय को सद्भावी/सही दावेदारों तथा धन शोधन के अपराध के पीड़ितों को वापस करने की भावना को दृष्टिगत रखते हुए, प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में कुर्क संपत्तियों को सद्भावी/सही दावेदारों तथा धन शोधन के अपराध के पीड़ितों को जारी किए जाने के संबंध में माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय के समक्ष अनापत्ति प्रस्तुत की।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त निवेदन के आधार पर माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय ने दिनांक 09.06.2026 को सद्भावी/सही दावेदारों तथा धन शोधन अपराध के पीड़ितों को कुर्क अचल संपत्तियों के प्रत्याहरण का आदेश पारित किया है। सही दावेदारों एवं पीड़ितों को उक्त संपत्तियों के प्रत्याहरण, अपराध से अर्जित आय को उससे प्रभावित व्यक्तियों को वापस दिलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किए जा रहे सतत प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रवर्तन निदेशालय वित्तीय अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने तथा ऐसे अपराधों के पीड़ितों को न्याय दिलाने की अपनी प्रतिबद्धता के प्रति निरंतर कटिबद्ध है।